हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा

658. **श्री लक्खी राम अग्रवाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा के लिये राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए कितनी राशि स्वीकार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के हरिजन और आदिवासी छात्रों को प्रति छात्र दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मूल्य-सूचकांक के आधार पर प्रत्येक छात्र-वृत्ति की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राज्यों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के छात्रो के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियों, निम्न स्तरीय धंधों में लगे बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक/छात्रवृत्तियों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास तथा प्रशिक्षण और सम्बद्ध योजनाओं जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धन मुक्त किया जाता है । पृथक-पृथक राज्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष आवंटन किये जाते हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अदा की गयी छात्र-वृत्तियों की राशि राज्य सरकार द्वारा दी गयी राशि से कम नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Laws on Women

659. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI KAPIL VERMA:
SHRI BEKUL UTSAHI :
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased state:

(a) what are the laws relating to women, particularly those meant to deal with cases of dowry, sati, indecent representation and immoral traffic;

(b) whether Government propose to amend these laws to make them more effective ; and

(c) if so, the details of the amendments to be brought about?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) : (KUMARI MAMTA BANERJEE): (a) the Department of Women and Child Development is implementing the following four laws relating to women; viz;

1. The Dowry Prohibition Act, 1961;

2. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987;

3. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 and

4. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.

(b) and (c) Government has decided to amend these laws in order to make them more effective and stringent.

Aluminium Plants

660. SHRI JAGADISH JANI : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to set up some Aluminium plants during 8th Five Year Plan;

(b) if so, the names of the States where the Aluminium Plants are proposed to be set up during the above period;

(c) whether any such Aluminium Plant is proposed to be set up in Orissa during that period ; and

(d) if so, the names of Places indentified for the location of those Aluminium plants in that State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) No, Sir. Government are however considering a proposal of the National Aluminium Company (NALCO) for expansion of their existing mines, refinery and smelter.

(b) to (d) The proposal for expansion is in Damanjodi and Angul regions of Orissa.

Royalty on Minerals

661. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of MINES be pleased to state what are the criteria for fixing the royalties on coal and other mining products?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : While revising the rates of royalty on major minerals including coal, factors like pit's mouth value (PMV) of minerals, suggestions of State Governments to compensate against loss of revenue on account of non-levying of cess and mineral rights tax etc., suggestions of mining industry, impact of additional royalty on downstream industry, conditions in domestic and export markets and nature of and use of different minerals have been taken into consideration by the Government.

हिंदुस्तान कापर लिमिटेड को वित्तीय शक्तियां

662. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिंदुस्तान कापर लिमिटेड को अधिक वित्तीय शक्तियां देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह उद्यम अपनी क्षमता का विस्तार करने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्यम के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने वाले और 200 करोड़ रुपये से अधिक की सकल परिसम्पत्ति वाले सरकारी प्रतिष्ठानों के निदेशक मंडलों को सरकार ने अतिरिक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, बशर्ते कि वह धनराशि कम्पनी के आन्तरिक स्रोतों से जुटाई जा सके और वह व्यय सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी बजट में शामिल किसी मद पर किया जाए अथवा उक्त परिव्यय का वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया हो । हिंदुस्तान कापर लिमिटेड, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा इन अपेक्षाओं को पूरा करने पर अब परिवर्द्धनों, परिवर्त्तनों एवं नए निवेशों पर मौजूदा 20 करोड़ रुपये की बजाय 50 करोड़ रुपये तथा परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण पर मौजूदा 50 करोड़ रुपये की बजाय 100 करोड़ रुपये तक व्यय करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने का हकदार हो गया है ।

(ग) और (घ) जी हां । हिंदुस्तान कापर लिमिटेड ने अपनी क्षमता विस्तार की अनेक योजनाओं का निर्धारण कर लिया है । धन उपलब्ध होने पर, 8वीं योजना के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विस्तार और आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

I. पश्चिमी सेक्टर (राजस्थान)

1. खेतड़ी प्रगालक और रिफाइनरी का विस्तार 31,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन वार्षिक करना ।